

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
लोक सभा  
अतारंकित प्रश्न संख्या 995  
जिसका उत्तर दिनांक 26.07.2023 को दिया जाना है

**परमाणु आपदा के लिए बीमा कवरेज**

995. डॉ. ए. चेल्लाकुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में परमाणु दुर्घटनाओं के लिए यथेष्ट और पर्याप्त बीमा कवरेज की पेशकश की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परमाणु आपदा से होने वाली संभावित क्षति के लिए बीमा कवरेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और
- (ख) परमाणु आपदाओं के लिए बीमा ढांचे को बढ़ाने और बीमा कंपनियों की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों या सहयोगों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) जी, हां। भारत ने सख्त दायित्व व्यवस्था चैनलिंग दायित्व के माध्यम से किसी नाभिकीय घटना के पीड़ितों को नाभिकीय क्षति के तत्काल मुआवजे हेतु प्रचालक को नागरिक दायित्व हेतु जिम्मेदार बनाते हुए नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम 2010 को अधिनियमित किया है। अधिनियम के तहत, प्रचालक को नाभिकीय घटना के संबंध में अपने दायित्व की व्यवस्था के लिए बीमा या वित्तीय प्रतिभूतियां या दोनों का संयोजन बनाए रखना होगा। यह अधिनियम प्रत्येक नाभिकीय घटना के लिए नाभिकीय प्रचालक के दायित्व को भी सीमित करता है।

किसी भी बीमा या वित्तीय प्रतिभूतियों के बिना, नाभिकीय प्रचालक नाभिकीय सुविधाओं का प्रचालन नहीं कर सकता है, और प्रचालक को वैधता अवधि समाप्त होने से पहले समय-समय पर बीमा पॉलिसी या वित्तीय प्रतिभूतियों का नवीनीकरण करना भी अनिवार्य है।

प्रत्येक नाभिकीय घटना के लिए एक प्रचालक का दायित्व है-

- (i) दस मेगावाट के बराबर या उससे अधिक तापीय क्षमता वाले नाभिकीय रिएक्टरों के संबंध में, रुपए एक हजार पांच सौ करोड़;
- (ii) भुक्तशेष ईंधन पुनःप्रक्रमण संयंत्रों के संबंध में, रुपए तीन सौ करोड़;
- (iii) दस मेगावाट से कम तापीय क्षमता वाले अनुसंधान रिएक्टरों, भुक्तशेष ईंधन पुनःप्रक्रमण संयंत्रों के अलावा अन्य ईंधन चक्र सुविधाओं और नाभिकीय पदार्थों के परिवहन के संबंध में, रुपए एक सौ करोड़।

सीएलएनडी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित दायित्व की व्यवस्था के लिए बीमा प्रदान करने हेतु दिनांक 12 जून, 2015 को 1500 करोड़ की क्षमता के साथ जीआईसी-रे और कई अन्य भारतीय बीमा कंपनियों के साथ भारत नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) की स्थापना की गई। प्रचालकों के दायित्व को कवरेज प्रदान करने के अलावा, आईएनआईपी आपूर्तिकर्ताओं (घरेलू और विदेशी दोनों) के दायित्व संबंधी मामलों पर भी ध्यान देगा। जीआईसी-रे, कई अन्य भारतीय बीमा कंपनियों सहित वर्तमान में बीमा पूल में भागीदार हैं।

- (ख) सीएलएनडी अधिनियम 2010 के तहत, केंद्र सरकार समय-समय पर प्रचालक के दायित्व की राशि की समीक्षा कर सकती है और यदि आवश्यक समझती है, तो अधिसूचना द्वारा, मुआवजे के लिए अधिक राशि विनिर्दिष्ट कर सकती है।

भारत ने वर्ष 2016 में अतिरिक्त मुआवजे संबंधी समझौते (सीएससी) को भी समर्थित किया है। सीएससी, मुआवजे की राशि के संबंध में द्वि-स्तरीय प्रणाली प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, कम से कम तीन सौ मिलियन एसडीआर मुआवजे की राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संस्थापन अवस्था और अंतर्राष्ट्रीय निधि जिसमें सभी करार करने वाले पक्ष, अंशदान की गणना संबंधी सिद्धांत पर आधारित राशि प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। इसका उद्देश्य नाभिकीय घटना की स्थिति में सार्वजनिक निधि के माध्यम से उपलब्ध मुआवजे की राशि को बढ़ाना है, जो कि करार करने वाले पक्षों द्वारा उनकी संस्थापित नाभिकीय क्षमता और मूल्यांकन की संयुक्त राष्ट्र दर के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

\* \* \* \* \*